भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2665

उत्तर देने की तारीख : 02.08.2022

दिव्यांगजनों का कल्याण

2665. श्रीमती नुसरत जहां :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नि:शक्तता क्षेत्र अभी भी देश में सबसे अधिक हाशिये पर और उपेक्षित समूहों में से एक बना हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) 'दिव्यांग समूह सुगम्य भारत अभियान'के अंतर्गत आबंटित धनराशि और उनकी पेंशन में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्ति के लिए सहायता योजना (एसएमआईएलई), विमुक्त जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (एसईईडी), पीएम-दक्ष (प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही) और हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास जैसी केंद्रीय परियोजनों के लिए आबंटन में कटौती करने के लिए पीछे क्या कारण है; और

(घ) सरकार का दिव्यांगों की आवश्यकताओं को पूरा करने और उन्हें नि:शुल्क सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए क्या प्रस्ताव है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क) सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया, जो 19.04.2017 से लागू हुआ। अधिनियम दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) के लिए विभिन्न अधिकार प्रदान करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समानता, गैर-भेदभाव, शोषण और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ सुरक्षा, कानूनी क्षमता, न्याय तक पहुंच, मतदान में सुगम्यता, सामुदायिक जीवन, आपदा स्थितियों के दौरान सुरक्षा शामिल हैं। यह राज्य दिव्यांगजन आयुक्त और मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त के माध्यम से इसके प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए तंत्र भी प्रदान करता है।

(ख) सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा) के तहत एक घटक है। एआईसी घटक के तहत, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने अब तक 596 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का एक घटक है, जो केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषित केंद्र प्रायोजित योजना है। आईजीएनडीपीएस के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वाले परिवारों से संबंधित बहु या गंभीर दिव्यांगता (दिव्यांगता का स्तर 80% या उससे अधिक) ग्रस्त 18-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को 300/- रुपये प्रति माह प्रति

लाभार्थी की दर से केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 80 वर्ष की आयु होने पर इन लाभार्थियों के संबंध में केंद्रीय सहायता की राशि को बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह कर दिया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएसएपी के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त टॉप-अप प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ग) मंत्रालय ने दिनांक 12.02.2022 को वंचितों को आजीविका और उद्यम के लिए सहायता (एसएमआईएलई) नामक योजना शुरू की, जिसमें दो उप-योजनाएं शामिल नामतः 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्रक योजना' और 'भीख मांगने वालों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्रक योजना' शामिल हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए विमुक्त (डी-नोटिफाइड) जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (एसईईडी) के लिए बीई 45 करोड़ रुपये था, लेकिन यह योजना फरवरी, 2022 में शुरू की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 2021-22 के दौरान कोई खर्च नहीं किया गया। इसलिए, 2022-23 के लिए एसईईडी के लिए बीई को घटाकर 28.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

पीएम-दक्ष (प्रधान मंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही) और हाथ से मैला उठानेवालों के पुनर्वास के लिए योजना (एसआरएमएस) के लिए वर्ष 2021-22 के लिए बी.ई. एवं वास्तविक व्यय तथा वर्ष 2022-23 के लिए बी.ई. इस प्रकार है :

(रुपये करोड़ में)

योजना	बी.ई. 2021-22	वास्तविक व्यय	बी.ई. 2022-23
पीएम- दक्ष	100	68.23	84
एसआरएमएस	100	39.00	70

पीएम-दक्ष और हाथ से मैला उठानेवालों के पुनर्वास की योजना (एसआरएमएस) मांग आधारित हैं और तदनुसार 2021-22 में व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, 2022-23 के लिए आवंटन को युक्तिसंगत रखा गया है।

(घ) दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016, उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों को निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करने का अधिदेश देता है। "सार्वजानिक स्वास्थ्य एवं अस्पताल" के राज्य का विषय होने के कारण दिव्यांगजनों सहित सभी को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रयासों को आगे बढाने के लिए वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) शुरू किया है ताकि सभी को, विशेष रूप से दिव्यांगजनों सहित कमजोर लोगों को, सुगम्य, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान की जा सके। वर्तमान में, एनआरएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का एक उप-मिशन है। एनएचएम के अंतर्गत सहायता में, अन्य के साथ, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम जैसी अनेक निःशुल्क सेवाओं का प्रावधान और तपेदिक (ट्यूबक्लोसिस), एचआईवी/एड्स जैसी प्रमुख बीमारियों, मलेरिया, डेंगू और कालाजार, कुष्ठ रोग आदि जैसी वेक्टर जनित बीमारियों के उपचार हेतु सहायता शामिल है।

*****